

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 11/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3), राजस्थान सरकार,  
जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान सोसायटी, कार्यालय पता  
प्लॉट नंबर 273 सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान अपने सचिव दिलीप  
तिवारी पुत्र श्री आनंद राम तिवारी, उम्र लगभग 62 वर्ष के माध्यम से।

----प्रतिवादी

के साथ

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 53/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अन्नपूर्णा मेडिकल ट्रेनिंग (कॉलेज ऑफ नर्सिंग), सीकर जयपुर रोड सीकर 332001 राजस्थान अपने सचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री परतु राम, आयु लगभग 55 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।

4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, जिसका कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान में है।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 56/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3), राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. शहीद भाई सुक्खा सिंह महताब सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन, (संत बाबा फतेह) सिंह चानन सिंह नर्सिंग इंस्टीट्यूट), गांव 5 एन पी डाबला (बूढा जोहार), तहसील रायसिंहनगर, जिला. इसके माध्यम से श्रीगंगानगर प्रतिनिधि करणवीर सिंह पुत्र श्री बलविंदर सिंह, उम्र करीब 38 साल.

2. राजस्थान नर्सिंग परिषद, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39 सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, जिसका कार्यालय पता प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान में है।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 72/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. नवजीवन शिक्षण संस्थान (नवजीवन कॉलेज ऑफ बी.एससी. नर्सिंग), खुडी बडी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बनवार लाल उम्र लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 73/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अनुपमा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, जीवन नगर, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री राजेंद्र मोदी पुत्र श्री भांवत लाल मोदी, उम्र लगभग 58 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर, राजस्थान।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 75/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सावित्री बाई फुले मेमोरियल संस्थान, बहवारा निकट दौलतपुरा टोल प्लाजा, एक्सप्रेस हाईवे जयपुर, राजस्थान अपने उप सचिव श्री सुभाष चंद सैनी पुत्र श्री अर्जुन लाल सैनी, उम्र लगभग 42 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 76/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. चौधरी कानाराम ढाका मेमोरियल संस्थान (सीकेआरडी स्मारक स्कूल ऑफ नर्सिंग), ढिगाल, नवलगढ़ रोड, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान अपने प्रतिनिधि श्री फारुक सैयद पुत्र श्री सैय्यद, आयु लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 77/2023

राजस्थान राज्य, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर  
के माध्यम से

----अपीलार्थी

बनाम

1. दीपशिखा कला संस्थान, जिसका पंजीकृत कार्यालय सेक्टर 3, वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर में है, इसके निदेशक श्री प्रेम सुराणा पुत्र निर्मल कुमार सुराणा, आयु 66 वर्ष, निवासी 08 गौरव नगर, सी.एम. हाउस के पास, सिविल लाइंस, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 78/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बालाजी शिक्षण संस्थान, पता 205, सुभाष नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान, इसके अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी पुत्र श्री गोपाल लाल तिवारी पुत्र श्री गोपाल लाल तिवारी, आयु लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 79/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. टाइम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ राजस्थान अपने पैतृक निकाय के माध्यम से टाइम्स एजुकेशनल सोसाइटी, हनुमानगढ़ टाउन हनुमानगढ़ अध्यक्ष सागरमल लड्डा पुत्र श्री भागीरथमल, जाति अग्रवाल, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी हनुमानगढ़ के (राज.) के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 80/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सोसायटी मुरली सिंह यादव स्मारक प्रशिक्षण संस्थान, उदयरामसर, बीकानेर द्वारा संचालित मुरली सिंह यादव बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, करणी कॉलोनी, उदयरामसर, बीकानेर इसके सचिव कुलदीप यादव पुत्र मनमोहन सिंह यादव, आयु 44 वर्ष, निवासी करणी कोच, उदयरामसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लालकोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 90/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3), राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन, (संत बाबा फतेह सिंह चानन सिंह नर्सिंग संस्थान), गांव 5 न.प. डाबला (बुढा जोहड़), तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान), अपने प्रतिनिधि श्री करणवीर सिंह पुत्र श्री बलविंदर सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 92/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, पता रजत पथ मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान अपने प्रतिनिधि सायर परिहार पुत्र श्री काना राम परिहार, उम्र लगभग 27 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 103/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गायत्री विद्यापीठ, (निमत नर्सिंग कॉलेज), 1-4 इंदिरा गांधी नगर, बगराना, पोस्ट कनोता, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान, इसके प्रतिनिधि श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 104/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. चौधरी काना राम ढाका मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, वीपीओ ढिंगल, जयपुर हाईवे, झुंझुनू, (राजस्थान), अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, श्री फारुक सईद पुत्र श्री सादिक सईद, उम्र लगभग 37 वर्ष।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 106/2023

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-III) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बाल विद्या मंदिर समिति (श्री कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग), 412, मास्टर जी की ढाणी भैंसावा, वाया- के. रेनवाल द. के. रेनवाल, जयपुर, राजस्थान इसके सचिव श्री हरफूल सिंह पुत्र श्री सवाई राम जाट, आयु लगभग 43 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से बी-39 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, 357 लक्ष्मी नगर, पावटा बी-रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 109/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गायत्री विद्यापीठ, (श्री राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 45-48 विवेक विहार, पोस्ट कानोता, जयपुर, राजस्थान, अपने प्रतिनिधि श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादी

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 110/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-3), राजस्थान सरकार,  
जयपुर के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, स्वर्गीय श्रीमती विद्यावती लाधु राम फाउंडेशन फॉर साइंस रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर, एच.एच. गार्डन, चक 1-ई छोटी, श्री गंगानगर

ट्रस्ट के सचिव गोरव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी एच.एच. गार्डन चक 1 ई छोटी, श्री गंगानगर के माध्यम से।

2. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर।

3. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

4. भारतीय नर्सिंग परिषद, अपने सचिव के माध्यम से, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली।

5. अध्यक्ष, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल, कॉलेज फेडरेशन, ई 277, नकुल पथ, लाल कोठी योजना, जयपुर।

6. सचिव, प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान सोसायटी, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर पाल रोड, जोधपुर।

7. अध्यक्ष, नर्सिंग काउंसिलिंग बोर्ड 2021 रुहस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, डब्ल्यूक्यूक्यूवी 47 आर, झोटवाड़ा रोड, सुभाष नगर, शास्त्री नगर टीबी अस्पताल के पास, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 111/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. दुर्गा देवी मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, (आर आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 141-142, श्री हनुमान सिटी, सीतापुरा पुलिया के पास, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान, इसके मैनेजिंग ट्रस्टी मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान सोसायटी, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर पाल रोड, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 112/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बजरंग बीएससी नर्सिंग कॉलेज, डीग, भरतपुर, श्री बजंग विद्यालय समिति, डीग भरतपुर के प्रबंधन के अंतर्गत, इसके सचिव महेश चंद शर्मा पुत्र श्री परसादी लाल शर्मा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी भूडा गेट, डीग, भरतपुर (राज.)
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 114/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरावर, नागौर, गीतांजलि शिक्षण संस्थान, बोरावर, तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान) के प्रबंधन के तहत, इसके सचिव लाल मोहम्मद खान पुत्र श्री सराज अहमद, उम्र लगभग 53 वर्ष, देशवाली, मोहल्ला, बोरावर, तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान)के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।

4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, कार्यालय पता प्लॉट नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 119/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अग्रणी सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, (जी.एल. सैनी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 7-8, राधा निकुंज, रामपुरा मोड़, इस्कान रोड, विजय पथ के सामने, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, इसके निदेशक डॉ. प्रमोद पाल पुत्र श्री यशपाल यश, उम्र लगभग 40 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. प्राइवेट फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर अपने सचिव के माध्यम से, प्लॉट

नं. 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर  
राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 120/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बजरंग नर्सिंग कॉलेज, भरतपुर रोड, डीग, भरतपुर, श्री बजरंग कॉलेज फार्मसी शिक्षा समिति, डीग भरतपुर के प्रबंधन के अंतर्गत, इसके सचिव सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री परसादी लाल शर्मा, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी भूडा गेट डीग, भरतपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 128/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. एम.बी. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नर्सिंग शिक्षण संस्थान, (एम.बी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग), इंगरपुर सचिव श्री कपिल आनंद कलाल पुत्र श्री पूनम चंद कलाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी शास्त्री कॉलोनी, बादल महल रोड, इंगरपुर-314001-राजस्थान के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार कुंभा मार्ग प्रताप नगर जयपुर राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।
5. राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज फेडरेशन फेडरेशन, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, 357 लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 129/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारतीय शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं कल्याण ट्रस्ट, (ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग), एनएच 11, फतेहपुर रोड, सबलपुरा के पास, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री खादिम हुसैन खत्री पुत्र श्री मोहम्मद यासीन खत्री, उम्र लगभग 63 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी 39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, (राजस्थान) के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 130/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. दुर्गा देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट (आर आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 141-142, श्री हनुमान सिटी, सीतापुरा पुलिया के पास, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान इसके मैनेजिंग ट्रस्टी मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 131/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. व्यास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हौद पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान इसके प्रिंसिपल श्री मनीष सारस्वत पुत्र स्वर्गीय श्री सतीश चंद शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 132/2023

1. राजस्थान राज्य, इसके सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-III), राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-III) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री महर्षि दाधीच शिक्षा समिति (एसएमडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग), सेमकोर फैक्ट्री के पीछे, नया नोहरा, बारां रोड, कोटा, राजस्थान इसके सचिव श्री राज दाधीच पुत्र श्री आर.एन. दाधीच, आयु लगभग 43 वर्ष।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,

प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, 357, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 135/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज, टिगरिया तहसील चोमू, जिला जयपुर (राजस्थान), रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल शिक्षण समिति के प्रबंधन में इसके सचिव मेघराज यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद यादव, उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी श्याम नगर कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड, चोमू, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 143/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गायत्री विद्यापीठ (श्री राम नर्सिंग स्कूल), 45-48 विवेक विहार, पोस्ट कनोता, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान इसके अध्यक्ष डॉ. आर.डी. शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उम्र लगभग 64 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, सचिव के माध्यम से, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 144/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री विनायक मिशन मेडिकल एवं एजुकेशन सोसायटी, (सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग), प्लॉट नं. 262, सेक्टर 26 प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान, इसके अध्यक्ष राम बाबू शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 145/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. दुर्गा देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट (आर आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 141-142, श्री हनुमान सिटी, सीतापुरा पुलिया के पास, टॉक रोड, जयपुर, राजस्थान अपने मैनेजिंग ट्रस्टी मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 146/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. मुरली सिंह यादव मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान उदयरामसर, बीकानेर द्वारा संचालित सावित्री देवी नर्सिंग संस्थान एवं अन्य, करणी कॉलोनी, उदयरामसर, बीकानेर इसके सचिव कुलदीप यादव पुत्र मनमोहन सिंह यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी करणी कोच, उदयरामसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 147/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारतीय शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं कल्याण ट्रस्ट, (ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग), एनएच-11, फतेहपुर रोड, सबलपुरा के पास, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री खादिम हुसैन खत्री पुत्र श्री मोहम्मद यासीन खत्री, उम्र लगभग 63 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 148/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. माँ शारदे जन हिताय सेवा संस्थान, माँ शारदे नर्सिंग स्कूल, गंगरतलाई, बांसवाड़ा, राजस्थान, इसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार दर्जी पुत्र श्री टोला चंद, उम्र लगभग 54 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, अध्यक्ष के माध्यम से, 357, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर, राजस्थान - 342001

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 149/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मत्स्य जन कल्याण समिति, सलौदा मोड़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान इसके सचिव श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री कालू राम, आयु लगभग 76 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 152/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सबलपुरा के पास, फतेहपुर रोड, एनएच-11, सीकर, राजस्थान, इसके अध्यक्ष श्री खादिम हुसैन खत्री पुत्र श्री मोहम्मद यासीन खत्री, उम्र लगभग 63 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 153/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. महात्मा गांधी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, बीएच-11, पुरा की ढाणी, पोस्ट- सबलपुरा, सीकर, राजस्थान इसके निदेशक श्री डालू राम पुत्र श्री हाडू राम, उम्र लगभग 55 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 156/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. ग्लोबल विजन सोसायटी (अबू नर्सिंग कॉलेज), गांव चंदेला, आबूरोड, जिला सिरौही,

राजस्थान, इसके सचिव श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 159/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बजरंग विद्यालय समिति, डीग, भरतपुर के प्रबंधन के अंतर्गत श्री बजरंग बीएससी नर्सिंग कॉलेज, डीग, भरतपुर, इसके सचिव महेश चंद शर्मा पुत्र श्री परसादी लाल शर्मा, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी भूडा गेट डीग, भरतपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 161/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. एम.बी. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नर्सिंग शिक्षण संस्थान, (एम.बी. नर्सिंग कॉलेज), इंगरपुर अपने सचिव श्री कपिल आनंद कलाल पुत्र श्री पूनम चंद कलाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी शास्त्री कॉलोनी, बादल महल रोड, इंगरपुर- 314001 - राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

5. राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज फेडरेशन, इसके अध्यक्ष के माध्यम से 357 लक्ष्मी नगर पावटा बी रोड जोधपुर राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 169/2023

राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. रुक्मणी देवी मेमोरियल नर्सिंग स्कूल, रुक्मणी देवी मेमोरियल सोसायटी के प्रबंधन के अंतर्गत, सरकारी अस्पताल के सामने, चिड़ावा जिला झुंझुनू (राज.) इसके अध्यक्ष मनीष धनखड़ पुत्र श्री सुमेर सिंह धनखड़, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी सरकारी अस्पताल के सामने, चिड़ावा जिला झुंझुनू (राजस्थान) के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय

जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 187/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी  
सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ  
नर्सिंग, सबलपुरा के पास, फतेहपुर रोड,  
एनएच-11, सीकर, राजस्थान इसके अध्यक्ष  
श्री खादिम हुसैन खत्री पुत्र श्री मोहम्मद  
यासीन खत्री, उम्र लगभग 63 वर्ष के माध्यम  
से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 188/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी  
सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. रिद्धि सिद्धि एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, ए 343 सरस्वती नगर जोधपुर, इसके सचिव अशोक बिश्नोई पुत्र मलकान सिंह, उम्र-34 वर्ष, निवासी 5, रातानाडा एक्सटेंशन स्कीम, जोधपुर।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, अपने अध्यक्ष के माध्यम से 357 लक्ष्मी नगर पावटा बी रोड जोधपुर राज।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 196/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. आर आर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 141 142 श्री हनुमान सिटी, सीतापुरा पुलिया टोंक रोड के पास जयपुर अपने प्रिंसिपल श्री राजकुमार गिल पुत्र हनुमान सहाय शर्मा, उम्र लगभग 39 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 197/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. मुरली सिंह यादव मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान, उदयरामसर, बीकानेर द्वारा संचालित संस्थान मुरली यादव मेमोरियल नर्सिंग संस्थान, करणी कोच उदयरामसर बीकानेर के अध्यक्ष कुलदीप यादव पुत्र मनमोहन सिंह यादव, उम्र 36 वर्ष, निवासी करणी कोच, उदयरामसर, जिला बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 201/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. टाइम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़, राजस्थान अपने पैतृक निकाय टाइम्स एजुकेशनल सोसाइटी, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़, अपने सचिव गोपाल किशन लड्ड पुत्र श्री भागीरथमल लड्ड, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी 184, पंजाबी मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय

जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  
विभाग, सचिव, सचिवालय जयपुर राजस्थान  
के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 202/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. माँ जीजाबाई शिक्षण संस्थान के प्रबंधन के अंतर्गत माँ जीजाबाई नर्सिंग कॉलेज, इसके अध्यक्ष सुनील शर्मा पुत्र गिरधारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी वार्ड नं. 8, रेलवे स्टेशन रोड, चोमू, जिला जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय

जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 206/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरावर  
तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान  
गीतांजलि शिक्षण संस्थान के प्रबंधन के  
तहत, इसके सचिव लाल मोहम्मद खान पुत्र  
सराज अहमद, उम्र लगभग 53 वर्ष के  
माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 207/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मत्स्य जन कल्याण समिति, सालौदा मोड़ गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान, इसके सचिव अर्जुन लाल पुत्र कालू राम, उम्र लगभग 76 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 209/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. टाइम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़, राजस्थान अपने पैतृक निकाय टाइम्स एजुकेशनल सोसाइटी, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़, के माध्यम से अपने सचिव गोपाल किशन लड्ड पुत्र श्री भागीरथमल लड्ड के माध्यम से, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी 184, पंजाबी मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन, (राज.)।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 210/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. कौशल विकास ट्रस्ट, (महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान इसके सचिव श्री नवीन खेमका पुत्र गोविंद राम खेमका, उम्र लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,

प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 218/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. माँ जीजाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माँ जीजाबाई शिक्षण संस्थान के प्रबंधन के अंतर्गत, इसके अध्यक्ष सुनील शर्मा पुत्र गिरधारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड 8, रेलवे स्टेशन रोड, चोमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय

जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 228/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अंबिका विकास संस्थान (अंबिका स्कूल  
ऑफ नर्सिंग), बी-22, सरस्वती नगर, बासनी  
जोधपुर राजस्थान अपने अधिकृत सचिव  
दीपक श्रीवास्तव पुत्र श्री एस.पी. श्रीवास्तव,  
उम्र लगभग 65 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 235/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अंबिका विकास संस्थान, (अंबिका स्कूल ऑफ नर्सिंग), बी 22 सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर राजस्थान अपने अधिकृत सचिव दीपक श्रीवास्तव पुत्र श्री एस.पी. श्रीवास्तव, उम्र लगभग 65 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 236/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. महात्मा गांधी सेवा संस्थान, राजस्थान, लवन, दौसा, राजस्थान, अपने प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविंद नारायण, उम्र लगभग 47 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल और कॉलेज फेडरेशन, अध्यक्ष के माध्यम से, 357, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 241/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. महात्मा गांधी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, एनएच 11 पुरा की ढाणी पोस्ट सबलपुरा सीकर राजस्थान इसके निदेशक श्री डालू राम पुत्र हाडू राम, उम्र लगभग 55 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 242/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अग्रणी सोसाइटी फॉर एजुकेशन और डेवलपमेंट, (जी.एल. सैनी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग) 57 गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान, इसके अध्यक्ष डॉ. प्रमोद पाल पुत्र यशपाल यश, आयु लगभग 40 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 243/2023

राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी  
सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राज जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस.पी. मुखर्जी नगर, भरतपुरा राजस्थान, इसके निदेशक लोकेश जिंदल पुत्र पी.आर. जिंदल, उम्र लगभग 51

वर्ष, निवासी 61-ए, रणजीत नगर, भरतपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से

5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 244/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. महात्मा गांधी सेवा संस्थान, राजस्थान, लवन, दौसा, राजस्थान, अपने प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविंद नारायण, उम्र लगभग 47 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल और कॉलेज फेडरेशन, अध्यक्ष के माध्यम से, 357, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 247/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गायत्री विद्यापीठ (श्री राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 45-48 विवेक विहार, पोस्ट कनोता, जयपुर, राजस्थान अपने प्रतिनिधि श्री ऋषि शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 248/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बालाजी एजुकेशन सोसाइटी (श्री बालाजी नर्सिंग कॉलेज), सरकारी स्कूल के सामने, कलसी, जिला सीकर, राजस्थान इसके अध्यक्ष डॉ रईस खान पुत्र श्री अब्दुल रशीद खान, उम्र लगभग 46 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 249/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-III), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राज श्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अजीतगढ़ रोड, अमरपुरा, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान इसके निदेशक श्री दिलीप कुमार पारीक पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पारीक, उम्र लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, 357, लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर, राजस्थान 342001।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 250/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. रामायण शिक्षण संस्थान (पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग), 59-60, ग्रीन कॉलोनी, मोती नगर, क्वींस रोड, जयपुर इसके अध्यक्ष

श्री श्याम सुंदर रामावत पुत्र श्री राजा राम  
रामावत उम्र लगभग 55 वर्ष के माध्यम से।

2. संयुक्त सचिव (गुप-3) चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन  
सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

3. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

4. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।

5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 258/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बालाजी शिक्षण संस्थान, सी/ओ  
205, सुभाष नगर भीलवाड़ा, राजस्थान इसके  
अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी पुत्र गोपाल लाल  
तिवारी, उम्र लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 269/2023

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अन्नपूर्णा मेडिकल ट्रेनिंग (कॉलेज ऑफ नर्सिंग) सीकर, जयपुर रोड सीकर 332001, राजस्थान अपने सचिव श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री परतु राम, आयु लगभग 55 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,

प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 277/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. गीतांजलि शिक्षण संस्थान, बोरावर, तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान) के प्रबंधन के तहत गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरावर, नागौर, इसके सचिव लाल मोहम्मद खान पुत्र श्री सराज अहमद, उम्र लगभग 53 वर्ष, देशवाली मोहल्ला, बोरावर, तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 279/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. चौधरी कानाराम ढाका स्मारक संस्थान, (सीकेआरडी स्मारक स्कूल ऑफ नर्सिंग), ढिगाल, नवलगढ़ रोड, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान, अपने प्रतिनिधि श्री फारुक सैयद पुत्र श्री सादिक सैय्यद, आयु लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 284/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. शेखावाटी मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नारायण का बास लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री सुनील कुमार पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 285/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. रघुकुल रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पता: रघुकुल मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जिला जयपुर, राजस्थान इसके अध्यक्ष नागेंद्र सिंह पुत्र वी.एस. शेखावत, उम्र लगभग 48 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, अध्यक्ष के माध्यम से, 357 लक्ष्मी नगर, पावटा बी-रोड, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 299/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. जी.एल. सैनी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 7-8, राधा निकुंज, रामपुरा मोड़, इस्कान रोड, विजय पथ के सामने, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, इसके निदेशक प्रमोद पाल पुत्र यशपाल यश, उम्र लगभग 40 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 310/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. चौधरी कानाराम ढाका स्मारक संस्थान, (चौधरी कानाराम ढाका स्मारक नर्सिंग कॉलेज) 5-6, प्रताप नगर, चूरू रोड, जिला झुंझुनू, राजस्थान, इसके सचिव डॉ. लाल चंद ढाका पुत्र काना राम ढाका, उम्र लगभग 52 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 311/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. बी.एम. एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, (शेखावाटी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र) हरि कुंज, पिलानी, झुंझुनू, राजस्थान, इसके सचिव श्री प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 320/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बजरंग नर्सिंग कॉलेज, भरतपुर रोड, डीग, भरतपुर, श्री बजरंग कॉलेज फार्मसी शिक्षा समिति, डीग भरतपुर के प्रबंधन के अंतर्गत, इसके सचिव सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री परसादी लाल शर्मा, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी भूडा गेट, डीग, भरतपुर (राज.) के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 331/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. चौधरी काना राम ढाका मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, वीपीओ ढिंगल, जयपुर हाईवे, झुंझुनू, (राजस्थान), अपने प्रतिनिधि श्री फारुक सईद पुत्र सादिक सईद, आयु लगभग 37 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 335/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सेंट विल्फ्रेड नर्सिंग कॉलेज, बालाजी मंदिर के पास, गोगल रोड, अजमेर, (राज.) अभिभावक सोसायटी सेंट विल्फ्रेड एजुकेशन सोसायटी, सेक्टर 10, मानसरोवर, जयपुर, इसके सचिव के माध्यम से डॉ. केशव बड़ाया पुत्र महेश कुमार बड़ाया, उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी ए-4, राजभवन रोड, सिविल लाइंस, जयपुर (राज.)
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, लाल कोठी जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।
5. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 342/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. महात्मा गांधी बीएससी नर्सिंग कॉलेज,  
एनएच 11 पुरा की ढाणी पोस्ट सबलपुरा  
सीकर राज इसके निदेशक श्री डालू राम पुत्र  
हाइ राम, उम्र लगभग 55 वर्ष के माध्यम  
से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 343/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. मुरली सिंह यादव बीएससी नर्सिंग  
कॉलेज, करणी कॉलोनी उदयरामसर बीकानेर  
मुरली सिंह यादव मेमोरियल प्रशिक्षण  
संस्थान उदयरामसर, बीकानेर द्वारा संचालित

इसके अध्यक्ष कुलदीप यादव पुत्र मनमोहन सिंह यादव, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी करणी कोच, उदयरामसर, जिला बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 391/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. सोसायटी शुभ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, फर्स्ट रेजीडेंसी रोड, जोधपुर द्वारा संचालित एसकेजी मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, खसरा नंबर 438, झालामंड, जोधपुर अपने प्रिंसिपल माना राम पुत्र श्री मोहन राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी भगवानपुरा, नागौर के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल कॉलेज फेडरेशन, लालकोठी, जयपुर अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 394/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. रघुकुल अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थान, पता: रघुकुल मॉडल टाउन ए, मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जिला जयपुर, राजस्थान इसके अध्यक्ष नागेंद्र सिंह पुत्र वी.एस. शेखावत, उम्र लगभग 48 वर्ष के माध्यम से।

2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

4. राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज फेडरेशन, अध्यक्ष के माध्यम से, 357 लक्ष्मी नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 395/2023

राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार,  
सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मत्स्य जन कल्याण समिति,  
सलौदा मोड़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर,  
राजस्थान, इसके सचिव श्री अर्जुन लाल पुत्र  
श्री कालू राम, आयु लगभग 76 वर्ष।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने  
रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल  
मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान  
विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग,  
प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम  
से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा  
मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय  
जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल  
रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

डी.बी. विशेष आवेदन याचिका संख्या 396/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान  
सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर  
(राजस्थान) के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव (समूह 3), चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन  
सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. अनुपमा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, जीवन नगर, सीकर, राजस्थान, इसके सचिव श्री राजेंद्र मोदी पुत्र श्री भांवत लाल मोदी, उम्र लगभग 58 वर्ष के माध्यम से।
2. राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
4. निजी फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान सोसायटी, शाखा कार्यालय जोधपुर, प्लॉट नंबर 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी के लिए : डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए : श्री विकास बलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ  
श्री डी.एस. सोढा,  
श्री अंकुर माथुर,  
सुश्री श्रेष्ठा माथुर।  
श्री हर्षवर्धन थानवी  
डॉ. अकालोव्या भंसाली वी.सी. के माध्यम से।  
श्री श्रेयांश मारडिया, वी.सी. के माध्यम से।  
सुश्री नीलांशा सिंघवी  
श्री संग्राम सिंह  
श्री मोहित सिंघवी  
श्री महेंद्र विश्वाई

श्री डी.एस. सोढा  
श्री एस.के. श्रीमाली  
श्री बी.एस.संधू के लिए।

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी  
माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण  
आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/03/2024

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे.

1. चूंकि सभी तात्कालिक याचिकाओं में एक समान विवाद शामिल है, हालांकि प्रासंगिक तथ्यों में मामूली भिन्नता है, इसलिए, वर्तमान समरूप निर्णय के प्रयोजनों के लिए, तथ्यों और प्रार्थना खंडों को ऊपर क्रमांकित डी.बी. विशेष अपील संख्या 11/2023 से लिया जा रहा है, जबकि इसे एक प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है; पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ और वर्तमान निर्णय में न्यायालय की टिप्पणियाँ भी, विशेष रूप से, प्रमुख मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित होंगी।

2. प्रार्थना के खण्ड इस प्रकार हैं:-

“इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस विशेष अपील को अनुमति दी जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.11.2022 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश को, जिसमें प्रतिवादी/रिट-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी, कृपया रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी/रिट-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को कृपया खारिज कर दिया जाए।

कोई अन्य आदेश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे, कृपया अपीलकर्ताओं के पक्ष में पारित किया जा सकता है।”

3. जैसा कि प्रस्तुत तथ्यों से पता चलता है, संघ विधानमंडल ने नर्सिंग संस्थानों में शिक्षा के मानकों के निर्धारण के लिए एक केंद्रीय परिषद गठित करने के उद्देश्य

से भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को अधिनियमित किया था, जिसके बाद नर्सिंग परिषद ने 05.07.2021 को भारतीय नर्सिंग परिषद (बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम के लिए संशोधित विनियम और पाठ्यक्रम), विनियम, 2020 (जिसे आगे '2020 के विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तैयार किया, जिसमें यह शर्त निर्धारित की गई कि संबंधित संस्थान/कॉलेज के पास नर्सिंग संस्थान/कॉलेज स्थापित करने के योग्य बनने के लिए अपना स्वयं का सौ बिस्तर वाला मूल अस्पताल होना चाहिए।

3.1. राजस्थान राज्य ने राजस्थान नर्सिंग मिडवाइक्स हेल्थ विजिटर एवं सहायक मिडवाइक्स रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1964 लागू किया तथा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का गठन किया।

4. वर्तमान मामले में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि राज्य सरकार ने दिनांक 07.06.2022 को एक आदेश जारी कर एक नीति पेश की, जिसमें यह शर्त लगाई गई कि संगठन/संस्था द्वारा स्थापित किए जाने वाले नर्सिंग संस्थान/कॉलेज में संगठन/संस्था का अपना सौ बिस्तरों वाला अस्पताल होना चाहिए। नए नर्सिंग संस्थान/कॉलेज या मौजूदा संस्थान/कॉलेज में सीटों की वृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त करना आवश्यक है, और ऐसे एनओसी के लिए पूर्व शर्त यह है कि वे दिनांक 07.06.2022 की नीति के अंतर्गत आते हों।

4.1. तत्पश्चात, अपीलकर्ता-राज्य की दिनांक 07.06.2022 की नीति को प्रतिवादी-संस्था द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई, और इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04.11.2022 के आक्षेपित आदेश के तहत रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 07.06.2022 के नीति आदेश में उल्लिखित नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों द्वारा 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की शर्त को रद्द कर दिया।

5. अपीलार्थी राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.06.2022 की नीति में सौ बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की शर्त नर्सिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए तैयार की गई है और उक्त नीति का पूरा उद्देश्य केवल फर्जी नर्सिंग संस्थानों की स्थापना को रोकना है, लेकिन इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के उक्त पहलू पर उचित विचार नहीं किया।

5.1. विद्वान एएजी ने यह भी कहा कि विचाराधीन शर्त फर्जी संस्थानों की वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए है जो राज्य में नर्सिंग शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखने में असमर्थ हैं। यह भी कहा गया कि जब राज्य के प्रशासनिक निर्णय या

नीति में सार्वजनिक हित का तत्व शामिल होता है, तो न्यायालय ऐसे नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से खुद को रोक सकता है, और इसलिए, केवल इसी आधार पर, आक्षेपित आदेश कानून में उचित नहीं है।

5.2. विद्वान एएजी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा कोई भी ऐसा नुस्खा या शर्त निर्धारित नहीं की गई है जो भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो, और इसलिए, 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल की शर्त नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों को चलाने के लिए संबंधित संगठन के लिए अपेक्षित मानकों को सुनिश्चित करती है, और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त शर्त को रद्द करना कानून में अनुमेय नहीं है।

5.3 विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-राज्य ने नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों में शिक्षा के मानक को बनाए रखने के लिए दिनांक 07.06.2022 की नीति के माध्यम से प्रश्नगत शर्त को राजस्थान राज्य में शामिल किया। इसलिए, इस आधार पर भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश कानूनन उचित नहीं है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-नर्सिंग संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और अन्य वकील, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहते हैं कि नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों में एनओसी प्रदान करने और संस्थान की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से भारतीय नर्सिंग परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं।

6.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कुछ संस्थानों ने संस्थानों में सीटों की वृद्धि के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया है, और उनके पास उचित बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं होने के बावजूद, अपीलकर्ता-राज्य ने उन्हें अपेक्षित एनओसी नहीं दी है, क्योंकि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा जारी नीति आदेश दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की शर्त है।

6.2. विद्वान वकील ने यह भी कहा कि 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल की शर्त भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता शर्त का उल्लंघन है, और जब शर्त संघ के निकाय द्वारा निर्धारित कर दी गई है, तो राज्य सरकार के पास उक्त पात्रता मानदंड को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

6.3 विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त शर्त का देश के नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों में अपेक्षित समान शिक्षा मानकों पर स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, दिनांक 07.06.2022 की नीति के माध्यम से 100 बिस्तरों वाले

स्वयं के अस्पताल की शर्त लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के विपरीत है। इस प्रकार, केवल इसी आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून में उचित है।

6.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि केन्द्रीय निकाय अर्थात् भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देश नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र पर लागू होते हैं, इसलिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त कानून की नजर में उचित नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।

6.5. इस तरह के तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम अधियामन शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान एवं अन्य, (1995) 4 एससीसी 104 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख तथा बार में उद्धृत निर्णय का अवलोकन किया गया।

8. इस न्यायालय ने पाया कि नए नर्सिंग संस्थान की स्थापना या मौजूदा नर्सिंग संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित संगठन को राज्य/राज्य निकाय यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है। अपीलार्थी-राज्य ने दिनांक 07.06.2022 को नीति जारी की, जिसमें प्रश्नगत उद्देश्य के लिए 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की शर्त लगाई गई, जो केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 2020 के विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

9. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि दिनांक 07.06.2022 की नीति के तहत प्रदान किए गए 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की शर्त को इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के तहत उक्त शर्त को रद्द कर दिया।

9.1. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में निर्णय के लिए एक प्रश्न तैयार किया है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

“क्या राज्य सरकार नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना/ऐसे कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त करने के लिए 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल की शर्त लगा सकती है?”

10. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि दिनांक 07.06.2022 की नीति में 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल की स्थिति नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“(A)निजी क्षेत्र में नवीन नर्सिंग स्कूल/कॉलेज खोलने हेतु नीति एवं प्रक्रिया:-

ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं या ऐसी संस्थाएँ जो मेडिकल कॉलेज संचालित कर रही हैं अथवा ऐसी संस्थाएँ जो स्वयं का 100 बैड संख्या का हॉस्पिटल संचालित कर रही संस्थाओं को मान्यता हेतु आवेदन करना होगा।”

11. यह न्यायालय यह भी देखता है कि केंद्रीय निकाय अर्थात् भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अधिनियमित 2020 के विनियमों के तहत 100 बिस्तरों वाले पैरेंट/स्वयं के अस्पताल की स्थिति निम्नानुसार है:-

“1. मूल अस्पताल (एकात्मक/एकल अस्पताल)

नर्सिंग कॉलेज में 100 बिस्तरों वाला पैरेंट/स्वयं का अस्पताल होना चाहिए जो अनिवार्य आवश्यकता है।

नर्सिंग संस्थान के लिए मूल अस्पताल जिसमें वही ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी हो जिसने नर्सिंग संस्थान की स्थापना की है और जिसने अस्पताल की भी स्थापना की है।

अथवा

किसी नर्सिंग संस्थान (धारा 8 के अंतर्गत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी द्वारा प्रबंधित) के लिए, ‘पैरेंट अस्पताल’ ऐसा अस्पताल होगा जिसका स्वामित्व और नियंत्रण ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के पास होगा या ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होगा। यदि अस्पताल का मालिक ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक है, तो अस्पताल नर्सिंग संस्थान के जीवन काल तक ‘पैरेंट अस्पताल’ के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

यह वचनबद्धता इस आशय की भी होगी कि ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान में इलाज की अनुमति नहीं देगा और यह वचनबद्धता कम से कम 30 वर्षों के लिए होगी (अर्थात् ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के सभी ट्रस्टियों/सदस्यों/निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित) जो ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक से प्रस्तुत की जाएगी।

पैरेंट अस्पताल के बिस्तर एक ही यूनिटरी अस्पताल में होंगे यानी एक ही इमारत/एक ही परिसर में। इसके अलावा, पैरेंट अस्पताल उसी राज्य में होगा यानी जहां संस्थान स्थित है।

a) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब किसी विशेष अस्पताल को "पेरेंट अस्पताल" के रूप में दिखाया जाता है और नर्सिंग संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो दी गई अनुमति/उपयुक्तता तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त अस्पताल "पेरेंट अस्पताल" के रूप में जुड़ा हुआ है।

b) यदि ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी का ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक दिए गए वचन को वापस ले लेता है, तो उस स्थिति में जारी किया गया अनुमति/उपयुक्तता पत्र भी तत्काल प्रभाव से समाप्त/वापस लिया गया माना जाएगा।”

12. यह न्यायालय आगे यह भी देखता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 “संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु” से संबंधित है; उक्त अनुच्छेद भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जो “उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण” से संबंधित है। यह न्यायालय यह भी देखता है कि केंद्रीय विधानमंडल ने भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को अधिनियमित किया था और उक्त अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार, 2020 के विनियम अधिनियमित किए गए, जिसमें 100 बिस्तरों वाले मूल/स्वयं के अस्पताल की शर्त को शामिल किया गया है।

12.1. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में माना है कि राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 07.06.2020 का नीति आदेश एक प्रशासनिक आदेश है और इसे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किए बिना पारित किया गया था। इसलिए, दिनांक 07.06.2022 के नीति आदेश में 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल की शर्त जिसने मानदंड बदल दिया है, को पूरक शर्त के रूप में नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में सही उल्लेख किया है।

12.2. यह न्यायालय यह भी मानता है कि दिनांक 07.06.2022 की नीति भी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अनुसार पेश की गई थी, और यह केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के प्रतिकूल थी, और इस प्रकार, इस विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

13. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम अधियामन शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एवं अन्य (उपरोक्त) तथा प्रीति श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1999) 7 एससीसी 120 के मामलों में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रख रहा है। उक्त निर्णयों के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

**अधियामन शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एवं अन्य (उपरोक्त):**

“43. उपर्युक्त चर्चा से जो बात उभर कर आती है वह इस प्रकार है:

[1] संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 में प्रयुक्त "समन्वय" शब्द का अर्थ केवल मूल्यांकन नहीं है। इसका अर्थ है विकास की एक निश्चित डिजाइन, योजना या प्लान के अनुसार एक ठोस कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना। इसलिए, इसमें न केवल मानकों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शामिल है, बल्कि ऐसी असमानताओं की घटना को रोकने के लिए भी कार्रवाई शामिल है। इसलिए, इसमें उन सभी चीजों को करने की शक्ति भी शामिल होगी जो "समन्वय" को असंभव या कठिन बनाने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। यह शक्ति निरपेक्ष और बिना शर्त है और किसी भी वैध बाध्यकारी कारणों की अनुपस्थिति में, इसे अपने साफ और स्पष्ट इरादे के अनुसार अपना पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए।

[ii] इस हद तक कि राज्य कानून केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष में है, हालांकि पूर्व को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत बनाया गया है, लेकिन वास्तव में केंद्र द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत बनाए गए अधीनस्थ कानून सहित कानून पर अतिक्रमण करता है या संघ सूची की प्रविष्टि 66 को प्रभावी बनाता है, यह शून्य और निष्क्रिय होगा।

[iii] यदि दोनों विधानों के बीच कोई टकराव है, तो जब तक कि राज्य विधान को अनुच्छेद 254 के खंड [2] के मुख्य भाग के प्रावधानों द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है, राज्य विधान केंद्रीय विधान के प्रतिकूल होने के कारण अप्रभावी होगा।

[iv] क्या राज्य का कानून संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण करता है या समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल है, इसका निर्धारण दोनों कानूनों की जांच

करके किया जाएगा और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

[v] जब उपलब्ध स्थितियों/सीटों से अधिक आवेदक हों, तो राज्य प्राधिकरण को आवेदकों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए केंद्र या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों या योग्यताओं से अधिक उच्च मानक या योग्यता निर्धारित करने से नहीं रोका जाता है। जब राज्य प्राधिकरण ऐसा करता है, तो वह संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण नहीं करता है या ऐसा कानून नहीं बनाता है जो केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो।

[vi] हालाँकि, जब परिस्थितियाँ/सीटें उपलब्ध हों और राज्य प्राधिकरण किसी आवेदक को इस आधार पर प्रवेश देने से मना कर दें कि आवेदक उसके मानकों या योग्यताओं के अनुसार योग्य नहीं है, जैसा भी मामला हो, हालाँकि आवेदक केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित मानकों या योग्यताओं को पूरा करता है, तो वे असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। इसी तरह जब राज्य प्राधिकरण किसी संस्थान को उसके द्वारा निर्धारित मानकों या आवश्यकता को पूरा न करने के कारण मान्यता रद्द या असंबद्ध करते हैं, हालाँकि यह केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो राज्य प्राधिकरण अवैध रूप से कार्य करते हैं।

#### **प्रीति श्रीवास्तव एवं अन्य (उपरोक्त):-**

“35. अनुच्छेद 246 के तहत कानून बनाने के लिए संसद और राज्यों के विधानमंडलों की विधायी क्षमता संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा विनियमित है। मूल रूप से लागू सातवीं अनुसूची में, सूची II की प्रविष्टि 11 ने राज्य को निम्नलिखित पर कानून बनाने की विशेष शक्ति दी:-

“सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा”।

संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 के परिणामस्वरूप सूची II की प्रविष्टि 11 को हटा दिया गया तथा सूची III की प्रविष्टि 25 को 3-1-1976 से संशोधित किया गया। समवर्ती सूची में वर्तमान प्रविष्टि 25 इस प्रकार है:

“25. शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, सूची I की प्रविष्टियाँ 63, 64, 65

और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।”

प्रविष्टि 25, अन्य बातों के साथ-साथ, सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि 66 इस प्रकार है:

“66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।”

संघ और राज्य दोनों को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा पर कानून बनाने की शक्ति है, अन्य बातों के साथ-साथ सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन, जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों को निर्धारित करने और ऐसे मानकों के समन्वय से संबंधित है। इसलिए, राज्य को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि यह क्षेत्र किसी भी संघ कानून द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है। दूसरा, राज्य अपने यहां शिक्षा को नियंत्रित करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। क्योंकि यह विशेष रूप से संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, उच्च चिकित्सा शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में प्रवेश के लिए मानदंड निर्धारित करते समय, राज्य सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत भारत संघ द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरे, इस विषय पर मामलों पर विचार करते समय यह भी याद रखना आवश्यक है कि 1977 से शिक्षा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा और विश्वविद्यालय शिक्षा भी शामिल है, अब समवर्ती सूची में है, ताकि संघ प्रवेश मानदंडों पर भी कानून बना सके। यदि ऐसा होता है, तो राज्य अनुच्छेद 254 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर इस क्षेत्र में कानून नहीं बना पाएगा।

14. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है कि वे हर क्षेत्र में, विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखें। केंद्र सरकार ने 2020 के विनियमों में देश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान/कॉलेज के लिए 100 बिस्तरों वाले पेरेंट/स्वयं के अस्पताल की शर्त निर्धारित की है और यह देश के सभी नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों पर समान रूप से लागू है, जो पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों में एकरूपता दर्शाता है।

14.1. यह न्यायालय यह भी मानता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 07.06.2022 की नीति में 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल की शर्त लगाई है, जो कोई पूरक शर्त नहीं है, और यह इस विषय पर केंद्र सरकार की मौजूदा शर्त का अतिक्रमण है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्त को जारी रहने दिया जाता है तो यह राजस्थान राज्य के नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों और देश के अन्य राज्यों के नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों के बीच स्पष्ट भेदभाव होगा, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।

15. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि राज्य सरकार के पास राज्य में नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है और जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है, राज्य सरकार के पास अयोग्य नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों को रोकने/बंद करने का आदेश देने की पर्याप्त शक्ति है, जो कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना चलाए जा रहे हैं।

16. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विभिन्न पात्र नर्सिंग संस्थान/कॉलेज जो कानून के तहत निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों और शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2022 के नीति आदेश के तहत पेश किए गए 100 बिस्तरों वाले अपने अस्पताल से संबंधित शर्त के आधार पर नए संस्थान की स्थापना या मौजूदा संस्थानों में सीटों की वृद्धि के लिए एनओसी देने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

17. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि केंद्र सरकार की नीति जो पहले से ही प्रचलन में है, उसमें 2020 के विनियमन में एक मौजूदा शर्त है, जिसके अनुसार नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों के पास 100 बिस्तरों वाला परेंट/स्वयं का अस्पताल होना आवश्यक है, जबकि राज्य एकमात्र अंतर यह करना चाहता था कि नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों को केवल 100 बिस्तरों वाले स्वयं के अस्पताल तक ही सीमित रखा जाए। हालाँकि, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि 2020 के विनियमनों में प्रावधान यह है कि नर्सिंग संस्थान के लिए मूल अस्पताल में वही ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी होनी चाहिए जिसने नर्सिंग संस्थान की स्थापना की है और जिसने अस्पताल की भी स्थापना की है या मूल अस्पताल ऐसा अस्पताल होगा जो ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण में हो या ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी के ट्रस्टी/सदस्य/निदेशक द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित हो।

17.1 यह न्यायालय यह भी मानता है कि 2020 के विनियमन का निर्णायक हिस्सा यह है कि मूल अस्पताल को किसी अन्य नर्सिंग संस्थान के मूल/संबद्ध अस्पताल के रूप में नहीं माना जाएगा और उसे कम से कम 30 वर्षों तक मूल

अस्पताल का दर्जा प्राप्त रहेगा और इस प्रकार एक नर्सिंग संस्थान को समर्पित एक सौ बिस्तर वाले अस्पताल की पवित्रता बनी रहेगी। इसके अलावा 2020 के विनियमन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अस्पताल का बुनियादी ढांचा उसी स्थान पर होना चाहिए जहां नर्सिंग संस्थान मौजूद है।

17.2 यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि दिनांक 07.06.2022 की नीति में उल्लिखित शर्त का कोई उचित कारण नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि केंद्र सरकार ने नए नर्सिंग संस्थानों/कॉलेजों की स्थापना या मौजूदा संस्थानों में सीटों की वृद्धि के लिए एनओसी देने के लिए 2020 के विनियमों में उल्लिखित 100 बिस्तरों वाले मूल/स्वयं के अस्पताल की शर्त पेश की है, जो प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखती है।

18. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं के साथ-साथ इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले पूर्ववर्ती कानूनों पर भी उचित विचार किया है।

19. उपर्युक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के समग्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ता को कोई राहत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

20. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलें खारिज की जाती हैं।

(मुन्नूरी लक्ष्मण),जे

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।